<u>प्रतिवेद्य</u>

भारत का उच्चतम न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>सिविल याचिका सं 4807/2022</u>

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 19886/2019 से उद्भूत)

भारत संघ एवं अन्य .....अपीलकर्ता (गण)

बनाम

महेंद्र सिंह ..... प्रत्यर्थी (गण)

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता</u>

1. वर्तमान अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था। इस तरह की अपील उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित एक आदेश के विरूद्ध निर्देशित की गई थी, जिसमें, अपीलार्थियों द्वारा दिनांक 27.1.2017 को पारित आदेश को रद्द कर दिया गया था और इस प्रकार, प्रत्यर्थी[1] की उम्मीदवारी पर विचार किया जाना था और अपीलार्थियों द्वारा स्वीकार किया जाना था।

---

1 संक्षेप में 'रिट याचिकाकर्ता'

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

2. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स[2] में कांस्टेबलों के 11952 पदों को भरने के लिए रोजगार सूचना संख्या 1/2011 प्रकाशित की गई थी। इस चयन की प्रक्रिया में 120 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्न वाली लिखित परीक्षा शामिल थी जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक और कुल समय 90 मिनट निर्धारित किया गया था। उम्मीदवारों को अन्य परीक्षा जैसे कि शारीरिक दक्षता परीक्षा[3] में विचारित किये जाने के लिए कम से कम 35% अंक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 30% अंक) प्राप्त करना जरूरी था। इस विज्ञापन के पैरा 8 खंड B में कहा गया है कि उम्मीदवार को एक आवेदन पत्र भरना होगा जिसको वह अपने हस्तलेख में हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में भरेगा। इन आवेदन पत्रों के साथ शैक्षिक योग्यता और आयु के प्रमाण के लिए स्व–सत्यापित हाईस्कूल प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक था। सुसंगत शर्तें इस प्रकार हैं:

"8. xxx xxx

B. आवेदन पत्र a) आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्नक 'A' में दिया गया है। आवेदन पत्र भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट (www. indlanrailways. gov. in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं या रोजगार समाचार या इस विज्ञापन से प्राप्त किये जा सकते हैं और A–4 आकार के बांड पेपर पर केवल एक तरफ का उपयोग करके जमा किए जा सकते हैं और प्रश्न पत्र के लिए चुनी गई भाषा के अनुरूप नोडल मुख्य सुरक्षा आयुक्त को भेजा जा सकता है। केवल एक आवेदन भेजने की आवश्यकता है। नोडल मुख्य सुरक्षा आयुक्तों के पते, उस

---

2 संक्षेप में, 'आरपीएफ'

3 संक्षेप में, 'पीईटी'

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

व्यक्ति का विवरण जिसके पक्ष में ड्राफ्ट/आईपीओ तैयार किया जाएगा और वह स्थान जहां देय होगा, नीचे दिया गया है। आवेदकों की सुविधा के लिए प्रत्येक नोडल मुख्य सुरक्षा आयुक्त के सामने प्रश्न पत्र की भाषा भी दर्शित की गई है।

ग्रुप सं.	नोडल मुख्य सुरक्षा आयुक्त का पता	के पक्ष में काटा गया ड्रॉफ्ट/आई.पी.ओ.	भुतान करने का स्थान	प्रश्नपत्र की भाषा
1.	मुख्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर पूर्वी रेलवे, पोस्ट बॉक्स नं.–2, प्रधान डाकघर कार्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर पूर्वी रेलवे	गोरखपुर, उ.प्र.	हिन्दी, ऊर्दू, पंजाबी, गुजराती

2 **** **** ****

(e) आवेदन उम्मीदवारों द्वारा अपने स्वयं के हस्तलेख में केवल हिंदी या अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। पुरुष आवेदकों के मामले में बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और महिला आवेदकों के मामले में दाएं हाथ के अंगूठे का निशान आवेदन के नीचे दिए गए बॉक्स में लगाया जाएगा। बड़े अक्षरों/स्पेसआउट अक्षरों में हस्ताक्षरित आवेदनों को अमान्य माना जाएगा। संशोधित अथवा अधिलिखित अथवा धुंधले अंगूठे के निशान वाले आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया जा सकता है।

**** **** ****

9 (e) भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यदि किसी भी प्रकार का प्रतिरूपण का पता चलता है, तो आवेदक और प्रतिरूपण

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

करने वाले के विरूद्ध आपराधिक मामले शुरू किया जा सकता है और साथ ही उसकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है।

3. यह रिट याचिकाकर्ता अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी से संबंधित है और उसने भारतीय डाक आदेश दिनांक 5.3.2011 के साथ अपना आवेदन पत्र अंग्रेजी में भरा है। उनके हस्ताक्षर अंग्रेजी में हैं, जिसमें दो अक्षर एम और एस हैं। इस तरह के आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल परीक्षा की स्व–सत्यापित अंकपत्र और अन्य प्रमाण पत्र होते हैं। ऐसे सभी दस्तावेज स्व–प्रमाणित एवं हिंदी में हस्ताक्षरित हैं।

4. रिट याचिकाकर्ता ने 23 जून, 2013 को लिखित परीक्षा में शामिल हुआ, जिसमें उसने ओएमआर शीट पर हिंदी में एक पैराग्राफ लिखा, हालांकि आवेदन पत्र में, उसने इसे अंग्रेजी में लिखा था। तब उन्होंने हिंदी में हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद, जब रिट याचिकाकर्ता 07 मार्च, 2014 को पी.ई.टी. में शामिल हुआ, तो उसने फिर से "एम. एस." लिखकर हस्ताक्षर किया।

5. अपीलार्थियों ने 2.9.2014 को प्रश्नगत दस्तावेजों[4] के राजकीय परीक्षक की राय प्राप्त की। विशेषज्ञ की राय यह थी कि ओ.एम.आर. पत्रक और प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियों में एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। यह भी कहा किया गया कि ओ.एम.आर. पत्रक में हिन्दी में और आवेदन पत्र में अंग्रेजी में लिखे गये पैराग्राफ के संबंध में कोई राय व्यक्त करना संभव नहीं है।

6. चूंकि रिट याचिकाकर्ता की नियुक्ति नहीं हुई थी, हालांकि उसने अ.पि.व. में 58.5 अंकों के कट–ऑफ के मुकाबले 73.32 अंक प्राप्त किए था, उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय द्वारा 19.10.2016 को एक आदेश पारित किया गया था। इस मामले को परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्राप्त किए गए अँगूठे के निशान और अँगुलि छाप सहित समस्त

---

4 संक्षेप में, 'जी.ई.क्यू.डी.'

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए अपीलकर्ताओं को पुनः प्रेषित कर दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता को एक नया आवेदन करने का अवसर दिया गया था जिस पर मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा सुनवाई की जाएगी। रिट याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित आधारों पर 27 जनवरी, 2017 को खारिज कर दी गई थीः

> "माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों का स्कैन किया गया और इसको याचिकाकर्ता को भी दिखाया गया। प्रश्नगत दस्तावेजों के राजकीय परीक्षक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों पर याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड हस्ताक्षर और हस्तलिपि की जांच की गई है:

1.	प्रश्न–1 और प्रश्न–1/1	=	ओ.एम.आर. पर हस्तलेख एवं किया गया हस्ताक्षर
2.	प्रश्न–2	=	पी.ई.टी. प्रोफॉर्मा पर किया गया हस्ताक्षर
3.	प्रश्न–3 और प्रश्न–3/1	=	आवेदन पत्र में किया गया हस्ताक्षर एवं हस्तलेख
4.	एस–1 से एस–7	=	मौखिक परीक्षा के दौरान किया गया हस्ताक्षर

> विशेषज्ञ की राय के अनुसार प्रश्न–1 और 5–1 से 5–7 के रूप में चिह्नित दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर/हस्तलेख एक ही हैं, लेकिन प्रश्न–2 और प्रश्न–3 के रूप में चिह्नित दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर/लिखावट प्रश्न–1 और एस–1 से एस–7 के रूप में चिह्नित दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर/लिखावट से अलग हैं।
>
> जहां तक अभिलेख पर किए गए हस्ताक्षर/हस्तलेखन, जो प्रश्न–1 और प्रश्न–3/1 के रूप में वर्णित है, का संबंध है, इन दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर/हस्तलेखन की गहन जांच की गई थी और अभिलेखों पर किए गए हस्ताक्षर/हस्तलेखन के साथ उपरोक्त चिह्न की

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तुलना करने पर, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने अंग्रेजी में अपने आवेदन को भरा है और ओएमआर शीट पर उसने अपने लेखन को रिकॉर्ड करने के लिए हिंदी संस्करण का उपयोग किया है जो ओएमआर शीट के पैरा–3 में दिए गए निर्देश का उल्लंघन करता है। ओएमआर शीट के पैरा–3 में यह निर्देश दिया गया था कि ओएमआर शीट पर अपने लेख में लिखने के लिए उसी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसे आवेदन पत्र में भरने के लिए अपनाया गया था। याचिकाकर्ता की गलती के कारण याचिकाकर्ता के लेखन का मिलान विफल हो गया क्योंकि उसने दो भाषाओं का उपयोग किया था। इसी तरह, हस्ताक्षरों का मिलान विफल रहा, क्योंकि याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र पर अंग्रेजी में अपने हस्ताक्षर किए, जबकि हिंदी में ओएमआर शीट पर, जो याचिकाकर्ता की गलती है। यह अंतर दिखाकर याची को स्पष्ट किया गया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता विशेषज्ञ की राय से असहमत होने के लिए कोई ठोस आधार पेश नहीं कर सका।

7. रिट याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को चुनौती देते हुए पुनः एक रिट याचिका दायर की। उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ ने 20 फरवरी, 2019 को अपास्त कर दिया था। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने वर्तमान अपील में आक्षेपित आदेश पारित कर उक्त आदेश की पुष्टि की।

8. आवेदन पत्र में एक पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता इसलिए थी कि जब कभी और किसी स्तर पर अभ्यर्थी की पहचान से संबंधित विवाद उत्पन्न हो कि वही व्यक्ति लिखित परीक्षा में शामिल हुआ है जिसने आवेदन पत्र को भरा था उस स्थित में उम्मीदवार के हस्तलेख की तुलना की जा सके। उच्च न्यायालय ने मूल रूप से इस तथ्य पर भरोसा किया है कि लिखावट विशेषज्ञ की राय से, प्रतिरूपण के आरोप का कोई सबूत नहीं है। हालांकि, यह धारित किया गया कि आवेदन पत्र वर्ष 2011 में भरा गया था जबकि परीक्षा वर्ष 2013 में हुई थी, इसलिए, रिट

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

याचिकाकर्ता ने अनजाने में आवेदनपत्र भरने और परीक्षा के बीच समय के अंतराल के कारण हिंदी में ओएमआर पत्रक का कॉलम नं. 3 भर दिया था।

9. यहां पर जिस प्रश्न की जांच की जानी है वह विज्ञापन में दी गई शर्त के उल्लंघन का प्रभाव रखता है और आवेदन उस भाषा में किया जाना चाहिए जिसमें उम्मीदवार प्रश्न पत्र हल करना चाहते हैं, और ओएमआर पत्रक की तुलना में आवेदन पत्र में विभिन्न भाषाओं का उपयोग करने का क्या प्रभाव है।

10. विद्वान ए.एस.जी. सुश्री माधवी दीवान ने तर्क दिया है कि आवेदन पत्र में विभिन्न भाषाओं का उपयोग करने की बजाय ओएमआर पत्रक में प्रयुक्त भाषा से ही उम्मीदवारी नामंजूर हो जाती है। सुश्री दीवान ने **तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम जी. हेमलता और अन्य**[5] निर्णय का उल्लेख किया है। दूसरी ओर, रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि किसी अलग भाषा का उपयोग केवल एक अनियमितता है, हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि एक ही भाषा का उपयोग करने का उद्देश्य प्रतिरूपण से बचना और उम्मीदवार की वास्तविकता का पता लगाना है। श्री भूषण ने **अजय कुमार मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य**[6], **राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्य**[7] और **अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य**[8] के मामले में पारित निर्णयों का उल्लेख किया है।

11. हमने पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना है और सुश्री दीवान और श्री भूषण द्वारा संदर्भित निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। **जी. हेमलथ**

---

5 (2020) 19 एस.सी.सी. 430

6 2016 एस.सी.सी. ऑनलाइन डी.ई.एल 6553

7 (2016) 4 एस.सी.सी. 754

8 (2016) 8 एस.सी.सी. 471

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

के मामले में, यह शर्त आरोपित की गई थी कि यदि व्हाइटनर, स्केच पेन, पेंसिल, कलर पेंसिल, मल्टी कलर पेन का प्रयोग किया जाता है तो उत्तर पुस्तिका अवैध हो जाएगी। इन परिस्थितियों में, यह माना गया कि उम्मीदवार ऐसी अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन करता है कि सिविल जज के पद पर नियुक्ति के लिए उसके परिणाम की घोषणा नहीं की जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के अजय कुमार मिश्रा का निर्णय रिट याची की वास्तविक जन्म तिथि के बारे में गलत जानकारी देने के कारण उम्मीदवारी निरस्त करने के तथ्य से उत्पन्न होता है। राम कुमार गिजरोया के मामले में, उम्मीदवार ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने का अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। अवतार सिंह एक ऐसा मामला है जहां आपराधिक मामलों से संबंधित सामग्री की जानकारी छिपाई गई थी जिसमें उम्मीदवार संलिप्त हो सकता है। इस प्रकार, ये सभी मामले अपने स्वयं के तथ्यों पर आधारित हैं, जिसमें एक ही विवाद्य शामिल नहीं है जैसा कि वर्तमान अपील में उत्पन्न होता है।

12. वर्तमान मामले में, आर.पी.एफ. में कांस्टेबलों के 11,000 से अधिक पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी गया था। यद्यपि इस तरह के विज्ञापन पर परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन आम तौर पर, यह कहा जा सकता है कि विज्ञापित पदों की तुलना में अधिक उम्मीदवार ऐसे पदों के लिए इच्छुक हैं। शर्त यह है कि आवेदन पत्र में भाषा का उपयोग ओएमआर परीक्षा के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, क्योंकि यदि उम्मीदवार की पहचान के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे दो हस्तलेखों से सत्यापित किया जा सके। इसके अलावा, प्रश्न पत्रों को हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी सेट किया जाना आवश्यक है। विभिन्न भाषाओं में आवेदन गोरखपुर, कोलकाता, भुवनेश्वर और चेन्नई में विभिन्न नोडल अधिकारियों को भेजा जाना था। इसके अलावा, ओएमआर उत्तर पत्रक द्विभाषी यथा–हिंदी एवं अंग्रेजी में है, यदि

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

उम्मीदवार ने अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा को चुना है तो ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक किसी अन्य भाषा में हो सकता है।

13. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा आवेदन पत्र भरने और परीक्षा के बीच समय के अंतराल के संबंध में दिया गया एकमात्र तर्क है और इसलिए रिट याची द्वारा हिंदी में ओ.एम.आर. पत्रक को अनजाने में भरा जाना आशंका और अनुमान पर आधारित है। जब एक बार रिट याचिकाकर्ता ने अंग्रेजी में आवेदन पत्र भर दिया है, और अंग्रेजी में भी हस्ताक्षर किए हैं, तो इसे अनजाने में की गई गलती नहीं कहा जा सकता है जब उसने पैरा हिंदी में लिखा है। विभिन्न भाषा में ऐसा लेखन विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लिखित निर्देशों का उल्लंघन करता है।

14. श्री भूषण का यह तर्क कि विभिन्न भाषा के प्रयोग का कोई परिणाम नहीं निकलता है और इसलिए इसे आज्ञापक नहीं कहा जा सकता, तर्कसंगत नहीं है। जिस भाषा का चुनाव किया गया है वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक है कि जिस उम्मीद्वार ने आवेदन पत्र भरा है, केवल वही सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए लिखित परीक्षा में शामिल हुआ है। उत्तर पुस्तिकाएं आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा में होनी चाहिए। यह सुस्थापित है कि यदि आवेदन पत्र भरने में कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, तो केवल उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन पत्र भरना चाहिए। यह **नजीर अहमद बनाम राजा–सम्राट**[9] के मामले में प्रिवी काउंसिल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि "जहां एक निश्चित तरीके से अमुक चीज को करने की शक्ति दी जाती है, उस चीज को उस तरह से किया जाना चाहिए अथवा नहीं। अन्य तरीके से किया गया कार्य आवश्यक रूप से निषिद्ध है।

---

9 1936 एस.सी.सी. ऑनलाइन पी.सी. 41

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

15. इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **चंद्र किशोर झा बनाम महावीर प्रसाद और अन्य**[10] के मामले में निम्नानुसार धारित कियाः

> "17... यह सुस्थापित कल्याणकारी सिद्धांत है कि यदि किसी क़ानून में किसी चीज़ को एक विशेष तरीके से करने का प्रावधान है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं।(देखेंः नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर [(1935–36) 63 ए.आई.आर. 372: ए.आई.आर. 1936 पी.सी. 253 (।।)], राव शिव बहादुर सिंह बनाम वीपी राज्य [ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 322:1954 एस.सी.आर. 1098], उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह [ए.आई.आर. 1964 एससी 358: (1964) 1 एस.सी.डब्ल्यू.आर. 57]।नियमों के तहत चुनाव याचिका केवल 16–5–1995 तक खुली अदालत में शाम 4.15 बजे तक (न्यायालय के कार्य समय) तक नियम 6 (पूर्वोक्त) द्वारा निर्धारित तरीके से न्यायाधीश या न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती थी, जैसा भी मामला हो, ताकि परिसीमा की अवधि को बचाया जा सके।हालांकि, ऐसा नहीं किया गया..."

16. **चेरुकुरी मणि बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य**[11] में इस न्यायालय ने उक्त सिद्धांत का पालन करते हुए निम्नानुसार धारित किया:

> "14. जहां कानून कहता है कि कोई कार्य विहित प्रकार से किया जाना चाहिए तो उस कार्य को उसी विहित प्रकार से किया जाना चाहिए तब विहित प्रकार से विचलित हुए बिना कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए उसी प्रकार से किया जाएगा..."

17. इसी प्रकार, इस न्यायालय ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एम.सी.जी.एम.) अन्य अभिलाष लाल और अन्य और ओ.पी.टी.ओ. सर्किट इंडिया लिमिटेड अन्य एक्सिस बैंक और अन्य मामले में उक्त सिद्धांत का पालन किया गया है। चूंकि

---

10 (1999) 8 एस.सी.सी. 266

11 (2015) 13 एस.सी.सी. 722

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

विज्ञापन में आवेदन पत्र भरने और उत्तर पुस्तिकाओं के हल करने की रीति पर विचार किया गया था, इसलिए इसे इस प्रकार विहित रीति से किया जाना चाहिए। इसलिए, उच्च न्यायालय की खंडपीठ का यह तर्क कि इस बात की संभावना हो सकती है कि समय बीतने के कारण रिट याची ने उत्तर पुस्तिका को अलग भाषा में हल करने का प्रयास किया होगा, उचित नहीं है क्योंकि विभिन्न भाषा का प्रयोग करना ही रिट याची को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग करने में किसी संलिप्तता से वंचित कर देता है।

18. चूंकि रिट याची ने आवेदन पत्र और ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका को भरने के लिए अलग–अलग भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए अपीलार्थियों द्वारा उनकी उम्मीदवारी को नामंजूर कर दिया जाना उचित था।

19. इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को कानून में बरकरार नहीं रखा जा सकता है और उसे अपास्त किया जाता है। यह रिट याचिका खारिज की जाती है। परिणामस्वरूप, अपील अनुज्ञात की जाती है।

.....

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता

.....

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ

नई दिल्ली

25 जुलाई 2022

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"